प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/7/25	... वश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है ... कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः ... सनी सात्विक कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/25 को पेश हो।
25/9/25	वकील प्रार्थी अनु० । वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को न्यायालय समय पर 3-2 बार आवाज दिलाई गई। पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /.....................

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]/5/25	वकील वादी उप०। प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति/अनापत्ति हेतु कई अवसर दिये जा चुके है किन्तु कोई आपत्ति/अनापत्ति पेश नहीं की गई। अवसर समाप्त कर पत्रावली वास्ते बहस प्राथमिक डिक्री दि० 27/5/25 को पेश हो। [signature]	
27/5/25	वकील वादी अनु०। बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्राथमिक डिक्री दि० 17/6/25 को पेश हो। [signature]	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। बहस हेतु पुन: अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर वास्ते बहस प्रा० डिक्री पत्रावली दिनांक 4/7/25 को पेश हो। [signature]	
4/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29/7/25 को पेश हो [signature]	
29/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/8/25 को पेश हो [signature]	
27/8/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/25 को पेश हो [signature]	
25/9/25	वकील वादी अनु०। वकील वादी एवं वादी को न्यायालय समक्ष प्र० क्र० 2 का आवाज दिलायी गयी पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर	

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /.......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
72/दावा/2019	27.06.2019	06.11.2019

1. सोरव पोरवाल आ0 गिरिश कान्त पोरवाल जाति जाटव निवासी महावीर नगर सैकिण्ड कोटा जिला कोटा (राज0)
2. यशोदा पोरवाल पत्नि गिरिश कान्त पोरवाल जाति जाटव निवासी महावीर नगर सैकिण्ड कोटा जिला कोटा (राज0)

......वादीगण

बनाम

1. किशन गोपाल आ0 रामकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. शान्ति बाई पुत्री रामकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीतामपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. राजस्थान सरकर जर्ये उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादी:– श्री अखिलेश जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी:–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खेवट खतौनी सं0 नई 94 पुरानी 75 की कृषि भूमि ख0सं0 19/204 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 31 रकबा 11 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम पीतामपुरा पटवार क्षेत्र केथूद्रा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न है। जो वाद पत्र का एक भाग है।
2. यह कि वाद पत्र की चरणसं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 2 का 5/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में निहित है।
3. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का आज तक कानून के अनुसार विधिक बंटवारा पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ है। बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 मौखिक बंटवारे के अनुसार ही अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण का अपने हिस्से 1/4 व 5/8 हिस्से की भूमि में शान्तिपूर्वक तरीके से निन्तर बे रोक टोक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौखिक बंटवारे के बाद से ही वादीगण अपने–अपने हिस्से की उक्त भूमि का राजस्व अदा करते चले आ रहे है। वादीगण अपने–अपने हिस्से की उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का एवं जीवीकोर्पाजन का साधन नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि का कानूनन विधिक बंटवारा आज तक पक्षकारान के मध्य न्यायालय से नही हुआ है। केवल राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अंकित कर रखा है जिसकी वजह से आये दिन वादीगण को बहुत भारी परेशानी होती है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

4. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 2 संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी सं0 1 प्रतिवादी सं0 2 का भाई है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 ने आपस में एक असंगठित

गिरोह बना रखा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 लडाकू झगडालू किस्म के ताकतवार वाले अशान्ति प्रिय व्यक्ति है जो आये दिन वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 को समझाने का अथक प्रयास किया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आ रहे है, जिसकी वजह से वादीगण के हितों व हिस्से पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादीगण को अपने-अपने हिस्से की कृषि भूमि को अधिक उपजाउ बनाने हेतु बैंक अथवा अन्य ऋणदात्री संस्थाओं से अल्प कालीन व दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में तथा केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनय से कृषि कार्य करवाने में काफी दिक्कतो एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

5. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 वादीगण को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की गरज से वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते है एवं मेर व सीमाबन्दी को मिटाते रहते है एवं उक्त भूमि को बिना बंटवारे के खुर्द-बुर्द, बेचान, अन्तरण करने की कोशिश में लगे रहते है। जिसका प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। यदि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 ने उक्त कृषि भूमि के किसी भी भू-भाग को बिना बंटवारे करवाये ही गुपछुप तरीके से खुर्द-बुर्द बेचान कर दिया तो वादीगण बरबाद हो जावेगे तथा वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी।

6. यह कि वादीगण ने अन्तिम बार मजबूर होकर दिनांक 10.06.2019 को वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का कानूनन बंटवारा करवाने की बात प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 से कही तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 ने उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के लिए कतई तैयार नही हुए।

7. यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित अपने-अपने हिस्से 1/4 व 5/8 की कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवा ले और अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज करवाले।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 के द्वारा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करवाने हेतु मना करने पर उत्पन्न हुआ उसके पश्चात निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के विरूद्ध निम्न आशय की बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि-

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 के मध्य बंटवारा करके वादी सं 1 के हिस्से 1/4 एवं वादी 2 के हिस्से 5/8 की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन किया जावे। इस हेतु प्रतिवादी सं0 3 को आदेशित किया जावे।
2. यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित वादी सं0 1 के हिस्से 1/4 एवं वादी सं0 2 के हिस्से 5/8 की कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर जबरन दादागिरी व ताकत के बल पर कब्जा करने व दखलन्दाजी पैदा न करने व जब तक कानूनन बंटवारा न हो जावे तब तक वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भू-भाग को अन्य को बेचान व खुर्द बुर्द करने की कोशिश न करने हेतु पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी(राज0)

3. यह कि प्रतिवादी सं0 4 को आदेशित किया जावे कि वह वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का जब जक विधिवत बंटवारा न हो जावे तब तक प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी रहन बेचान के दस्तावेज का पंजीयन नही करे और

Scanned with OKEN Scanner

साथ ही प्रतिवादी सं0 3 को आदेशित किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की हेराफेरी व रद्दोबदल न करे।

4. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायाहित में वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान करायी जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नही करने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्य में वादीगण की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 94 ग्राम पीतामपुरा संवत् 2073–76 की प्रति पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी खाता सं0 94 ग्राम पीतामपुरा संवत् 2073–76 में सोरव पोरवाल आ0 गिरिशकान्त पोरवाल जाति जाटव निवासी महावीर नगर द्वितीय कोटा हिस्सा 1/4, शान्ति बाई पुत्री रामकिशन हिस्सा 1/8 कौम बलाई सा0 देह खातेदार, यशोदा पत्नि गिरिशकान्त जाति जाटव हि0 5/8 साकिन 864 शिवमन्दिर महावीर नगर द्वितीय कोटा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण 2 सहखातेदार दर्ज रिकार्ड होने से विवादित कृषि भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी है। अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के मध्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 94 ग्राम पीतामपुरा संवत् 2073–76 में वर्णित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के तहत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्सानुसार प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें । प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। बैंक का रहन यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06 .11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी